न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—95/2021/223 (2021/95)

1. श्रीमती कमला पत्नि सोहनसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गणेशुपुरा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. महादेव पुत्र नाथूसिंह जाति रावत, निवासी मूलचन्द नगर, गोविन्दपुरा, ब्यावर, जिला अजमेर ।
2. श्रीमती सदी पत्नि बाला, जाति रावत, निवासी ग्राम ठीकराना मेन्द्रातान, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
3. प्रेम पत्नि महादेव जाति रावत, निवासी मूलचन्द नगर, गोविन्दपुरा, ब्यावर तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
4. सिमरन पत्नि जगदीश सांखला, जाति माली, निवासी नवरंग नगर, छावनी रोड़, ब्यावर, जिला अजमेर ।
5. नारायणसिंह पुत्र गोमा,
6. मीरा पुत्री गोमा,
   दोनो जाति रावत, निवासी ग्राम ठीकराना मेन्द्रातान, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर ।
8. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, ब्यावर, जिला अजमेर ।
9. जिला कलक्टर, अजमेर ।
10. श्रीमती संतोष दग्दी पत्नि श्यामलाल, जाति माली, निवासी नेहरू गेट बाहर, गीता भवन रोड़, पीपली चौराया के पास, ब्यावर, जिला अजमेर ।
11. श्रीमती सुशीला उर्फ गीता पत्नि जुगराज, जाति माली, निवासी शाहपुरा मौहल्ला, मालियान मंदिर के पास, ब्यावर जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर दिनांक 3.6.2014 अंतर्गत वाद संख्या 15/2014.

उपस्थितः—

1. श्रीमती पूनम माथुर, वकील अपीलांट ।
2. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील रेस्पो0 संख्या 4.
3. श्री समीर अहमद खान, वकील रेस्पो0 संख्या 5 .
4. श्री शोकिन्दलाल गुर्जर, वकील रेस्पो0 संख्या 10 व 11.
5. रेस्पो0 संख्या 1, 2, 3, 6 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 28.7.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 3.6.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. वादीया/अपीलांट ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधि0 के तहत प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के विरूद्ध अधी0न्याया0 में पेश कर निवेदन किया कि ग्राम ठीकराना मेन्द्रातान तहसील ब्यावर में स्थित आराजी खसरा नंबर 135 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 136 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा 10 बिस्वांसी, खसरा नंबर 137 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 139 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 8 बीघा 10 बिस्वांसी भूमि के खातेदार वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 चले आ रहे है । वादिया अपने 1/4 हिस्से के अनुसरण में उक्त भूमि में प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त रूप से काबिज काश्त चली आ रही है । उक्त आराजियात संयुक्त ही चली आ रही है जिसका आज दिन तक कोई बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा नहीं हो रखा है जिसकी वजह से आये दिन पक्षकारान में विवाद होते रहते है । प्रतिवादीगण की नियत खराब हो चुकी है तथा वे अब वादिया को उक्त आराजियात से बेदखल कर आराजी को अन्यंत्र बैचान व हस्तांतरित करने पर आमादा है । अतः वाद वादिया स्वीकार कर विवादित आराजियात का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा कराया जाकर वादिया का 1/4 हिस्सा अलग दिलाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । उक्त वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश कर वादपत्र को खारिज करने का निवेदन किया। अधी0न्याया0 ने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनकर आदेश दिनांक 3.6.2014 के द्वारा प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादिया का वाद खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस बात पर गौर नही किया कि पूर्व खातेदार के विरूद्ध भी वाद में एकतरफा कार्यवाही की गई थी इस प्रकार उक्त वाद का निस्तारण कतई भी गुणावगुण के आधार पर नहीं हुआ था इसके अतिरिक्त भी उक्त वाद में वादिया को पक्षकार नहीं बनाया गया था । अतः वादिया को वादग्रस्त आराजियात बाबत् वाद लाने का पूर्ण अधिकार है तथा उक्त आधार पर मौजूदा वाद में आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 अथवा रेसज्येडिकेटा का सिद्धांत लागू नहीं होते है । अधी0न्याया0 को वादिया को वाद को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था । अधी0न्याया0 ने इस बात पर भी गौर नहीं किया कि रेस्पो0 संख्या 5 व 6 की पूर्ण एवं पर्याप्त जानकारी में अपीलांट द्वारा उक्त आराजियात में 1/4 हिस्सा जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 29.7.2009 को क्रय किया था तथा क्रय दिनांक से काबिल चली आ रही है । उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अपीलांट के हक में राजस्व रिकार्ड में दिनांक 13.8.2009 को नामांतकरण संख्या 1512 भी खोल दिया गया था किन्तु रेस्पो0 संख्या 5 व 6 ने वादिया को ना तो उक्त वाद की जानकारी दी और ना ही उसे उक्त वाद में पक्षकार बनाया । रेस्पो0 संख्या 5 व 6 ने अपीलांट के हितों व अधिकारों पर कुठाराघात करने की नियत से न्यायालय को गुमराह करते हुए डिक्री प्राप्त कर ली इस कारण भी निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है । बहस में आगे कथन किया कि मौजूदा वाद एवं पूर्व वाद के पक्षकारान अलग–अलग है । अतः कानूनन भी मौजूदा वाद में आदेश 7 नियम 11 अथवा रेसज्यूडिकेटा के सिद्धांत

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

लागू नहीं होते है । वादिया ने विभाजन का वाद पेश किया था एवं कानूनन आराजी के विभाजन के लिए कोई भी पक्षकार बंटवारा का दावा कभी भी ला सकता है जिस पर आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रावधान लागू नहीं होते है । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त सभी तथ्यों को नजरअदांज कर वाद आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रावधानों के तहत खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.6.2014 एवं प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 निरस्त कर वादिया/अपीलांट का वाद डिक्री किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 2015 पेज 306, आर0बी0जे0 1999 पेज 426, आर0बी0जे0 1996 पेज 69, आर0बी0जे0 2010 पेज 222 एवं आर0बी0जे0 2009 पेज 830 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । वादग्रस्त आराजियात अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद संख्या 126/2008 प्रतिवादी संख्या 5 व 6 ने बंटवारे का पेश किया था । उक्त वाद नारायणसिंह वगैरह बनाम प्रकाश वगैरह विचाराधीन था जिस पर न्यायालय ने दिनांक 31.7.2012 को अंतिम निर्णय पारित किया है । वादिया के विक्रेता खातेदार छीतर पुत्र घीसा, शंकर पुत्र घीसा व श्रीमती किशनी पुत्री घीसा रावत पूर्व वाद में पक्षकारान थे तथा अधी0न्याया0 के समक्ष उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई थी । विवादित आराजियात के संबंध में अधी0न्याया0 द्वारा पूर्व वाद संख्या 126/2008 में निर्णय पारित हो चुका है इसलिये अब इन्हीं आराजियात बाबत् वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद आदेश रेसज्यूडिकेटा के सिद्धांत के आधार पर खारिज किये जाने योग्य होने से अधी0न्याया0 ने वादिया/अपीलांट का वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । बहस में यह भी कथन किया कि पूर्व वाद में पारित निर्णय की इजराय प्रतिवादी संख्या 5 व 6 ने अधी0न्याया0 के समक्ष पेश कर रखी है जिसमें तहसीलदार द्वारा उपरोक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 31.7.2012 की पालना किया जाना है । अपीलांट यदि पूर्व निर्णय व डिक्री से पीड़ित है तो इन्हें उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील करनी चाहिये थी किन्तु वादिया ने अपील न कर पुनः नवीन वाद पेश किया है जो रेसज्यूडिकेटा के सिद्धांत से बाधित होने के कारण संधारण योग्य नहीं है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में वादिया/अपीलांट का वाद आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रावधानों के तहत खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में 2008 (3) डी0एन0जे0 राज0 पेज 1343, आर0आर0टी0 2006 (1) पेज 226, आर0आर0टी0 2006 (2) पेज 962, ए0आई0आर0 2007 सुप्रीम कोर्ट पेज 1332 एवं आर0एल0आर0 2004 पेज 405 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया । वादिया/अपीलांट ने वादग्रस्त आराजियात में से 1/4 हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 29.7.2009 के द्वारा क्रय कर काबिज काश्त चली आने का कथन कर बंटवारे का अनुतोष चाहा है । विवादित आराजियात के संबंध में प्रतिवादी संख्या 5 व 6 ने अधी0न्याया0 के समक्ष पूर्व में राजस्व वाद संख्या 126/2008 बउनवान नारायण सिंह वगैरह बनाम प्रकाश वगैरह पेश किया था जिसमें अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 31.7.2012 को अंतिम निर्णय पारित किया जा चुका है । उक्त वाद में वादिया के विक्रेता खातेदार छीतर पुत्र घीसा, शंकर पुत्र घीसा व श्रीमती

किशनी पुत्री घीसा रावत का उक्त समय खातेदार होने से उक्त वाद में पक्षकार कायम किया गया था । वाद संख्या 126/2008 में अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 31.7.2012 को अंतिम निर्णय पारित किया जा चुका है । जहां तक अपीलांट का यह कथन कि उक्त वाद में अपीलांट के विकेता के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर निर्णय पारित किये जाने का प्रश्न है । इस संबंध में अपीलांट को उक्त वाद में पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध क्रय के आधार पर विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही करनी चाहिये थी । परन्तु हस्तगत वाद में वर्णित आराजियात बाबत् अधी0न्याया0 द्वारा पूर्व वाद संख्या 126/2008 में दिनांक 31.7.2012 को अंतिम निर्णय पारित किये जाने से प्रस्तुत नवीन वाद विधि के सुस्थापित सिद्धांत के तहत रेसज्यूडिकेटा की श्रेणी में आता है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3.6.2014 यथावत् जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 28.7.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

डिगरी ब सीगे अपील
(ओ.41,रूल35 जाप्ता दिवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "G"-9)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, मुकाम अजमेर।
ब इजलास— श्रीमती मेघना चौधरी, आर.ए.एस.

1. श्रीमती कमला पत्नी सोहनसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गणेशपुरा, तहसील ब्यावर (जिला अजमेर)

बनाम

1. महादेव पुत्र नाथूसिंह जाति रावत, निवासी मूलचन्द नगर, गोविन्दपुरा, ब्यावर, (जिला अजमेर) व अन्य।

अपील संख्या 95/2021 (2021/95) ब नाराजगी निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी ब्यावर मुबर्खे 03 माह 06 सन् 2014 प्रकरण संख्या 15/2014

दावा बाबत् :अंतर्गत धारा 53,188 ,राज. काश्त. अधि.1955

यह अपील ब तारीख 28 माह 07 सन् 2021 रूबरू राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ब हाजिरी श्रीमती पूनम माथूर, वकील अपीलांट, श्री निर्मल कुमार जैन,वकील रेस्पों संख्या 04, श्री समीर अहमद खान,वकील रेस्पों सं0 5, श्री शोकिन्दलाल गुर्जर, वकील रेस्पों सं0 10 व 11,रेस्पों सं0 1,2,3,6 अनुपस्थित समायत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ हैं कि:—अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.06.2014 को यथावत् रखा जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जैल तादादी मुबलिक..x.. रूपये..x. अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..x अदा करें।)

बस्बत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 28 माह 07 सन् 2021 को जारी किया गया।

मोहर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये	पैसे	रेस्पोडेन्ट	रूपये	पैसे
1.स्टाम्प अपील	—		1.स्टाम्प वकालतनामा	—	
2.स्टाम्प वकालतनामा	—		2.स्टाम्प अर्जी	—	
3.इजराय हुक्मनामा	—		3.इजराय हुक्मनामा	—	
4.वकील फीस बाबत्	—		4 महनताना वकील	—	
मीजान	—		मीजान	—	

नोट:—इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे निगरानी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहियें।

Judil/Civil